भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 5034
दिनांक 25.03.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

हरियाणा में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

5034. श्री बृजेन्द्र सिंहः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, हरियाणा में अपने इच्छित उद्देश्यों को पूरा कर रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक हरियाणा के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जिला-वार क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ग): पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी), अब जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत शामिल है, का उद्देश्य न्यूनतम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के साथ ग्रामीण बसावटों में पीने योग्य पानी और तर्कसंगत दूरी पर पेयजल स्रोत की व्यवस्था करना था। हरियाणा राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 22.03.2021 तक, 97.74% आबादी वाली 98.17% ग्रामीण बसावटों में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) की व्यवस्था है और 2.26% आबादी वाली 1.83% ग्रामीण बसावटों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति का सेवा स्तर 40 एलपीसीडी से कम है।

भारत सरकार जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन राज्यों के साथ मिलकर कर रही ताकि वर्ष 2024 तक देश में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन मुहैया कराया जा सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आज की तारीख तक देश में लगभग 7.15 करोड़ (37.28%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति है। हरियाणा में 31.03 लाख ग्रामीण परिवारों में से 26.88 लाख (86.63%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति है। जेजेएम के तहत, हरियाणा राज्य ने दिसम्बर, 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जलापूर्ति उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।
हरियाणा में नल जलापूर्ति प्राप्त करने वाली ग्रामीण बसावटों का जिला-वार विवरण पब्लिक डोमेन में जेजेएम डैशबोर्ड https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx पर उपलब्ध है।

*****